दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन मुकदमा

पिछले दिनों नेदरलैण्ड सरकार जलवायु परिवर्तन सम्बंधी एक महत्वपूर्ण मुकदमा हार गई। यह मुकदमा सरकार द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन सम्बंधी योजना को लेकर एक पर्यावरण समूह ने दायर किया था। ग्रीनहाउस गैसें वे गैसें हैं जो धरती के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में इन गैसों का उत्सर्जन कम करने पर सहमति हुई है।

पर्यावरण समूह अर्जेंडा ने 900 नागरिकों की ओर से नेदरलैण्ड सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की विषयवस्तु यह थी कि सरकार ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के जो प्रयास किए हैं वे निहायत नाकाफी हैं। लिहाज़ा सरकार जानबूझकर अपने नागरिकों को खतरनाक परिस्थिति में धकेल रही है।

अर्जेंडा ने हेग स्थित अदालत से अनुरोध किया था कि वह यह घोषित करे कि धरती के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वृद्धि दुनिया भर के नागरिकों के मानव अधिकार का उल्लंघन होगा। सरकारों की समिति का मत है कि सरकारों को अपने-अपने देश में वर्ष 2020 तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इतना कम करना होगा कि वह 1990 के स्तर से 25 से 40 प्रतिशत तक कम हो जाए। ऐसा करने पर ही इस बात की 50 प्रतिशत संभावना बनेगी कि धरती के तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रहेगी। मगर युरोपीय संघ के देशों ने 40 प्रतिशत कटौती करने की समय सीमा 2030 तक रखी है।

इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे तीन न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताई और निर्णय दिया कि 2020 तक उत्सर्जन के स्तर को 1990 के स्तर से मात्र 14-17 प्रतिशत कम करना गैर-कानूनी है। फैसले में कहा गया है कि 'सरकार को इस दलील की आड़ में बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वैश्विक जलवायु समस्या का समाधान मात्र नेदरलैण्ड के प्रयासों से संभव नहीं है।' अदालत ने नेदरलैण्ड सरकार को यह आदेश भी दिया है कि वह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 2020 तक कम से कम 25 प्रतिशत की कमी करे।

कई कानून विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अर्जेंडा की जीत का विश्वव्यापी असर होगा और कई देशों में ऐसे मुकदमे दायर होने की संभावना है। बेल्जियम का एक पर्यावरण समूह इसकी तैयारी भी कर रहा है। लंदन स्थित कानून कंपनी क्लाएंट अर्थ के जेम्स एरंडेल का मत है कि इस मुकदमे का मुद्दा यह है कि राष्ट्र संघ में जारी बातचीत का परिणाम जो भी निकले, सरकारों का कानूनी दायित्व है कि वे उत्सर्जन में कमी लाएं। इस संदर्भ में कुछ कानून विशेषज्ञों ने ओस्लो सिद्धांतों का प्रकाशन किया है जिनमें जलवायु की रक्षा को सरकारों का कानूनी दायित्व माना गया है। ***(स्रोत फीचर्स)***